

1357  
संख्या- /15-7-08-16(52)/2008

प्रेम्क,  
ममता श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।


सेवा में,  
सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग  
विषय :- प्रसाद पब्लिक स्कूल औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा को सी0वी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।  
तखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2008

महोदय,  
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि उक्त संबन्धित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौसायती का समग्र समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न बन्धनों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से फिक्सी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक-शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेक्टर बोर्ड आफ सेक्रेण्ट्री एजुकेशन नईदिल्ली/कोसिल फार दि इंग्लिशन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिवागतर कर्मचारियों पर राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

  
Principal  
Prasad Public School  
Mathura

  
MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकर्मों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनापत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।

PO संख्या एवं दिनांक तर्जिव


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 5- पंचायक, प्रसाद पब्लिक स्कूल औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।

  
Principal  
Prasad Public School  
Mathura



  
MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura